नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना, 2010

नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना, 2010

1. पृष्ठभूमि

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 का उप–खंड (ड.) ऐसे आपदा पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए वाद दायर करने अथवा बचाव करने का पात्र बनाता है जो अनपेक्षित अभाव की परिस्थितियों में हैं। परंतु किसी विपत्तिकर स्वरूप की आपदा में, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव–निर्मित, पीड़ित प्रायः सचेत नहीं होते और जीवन की क्षति, बेघर हो जाने, संपत्ति के नष्ट होने अथवा क्षति होने अथवा पर्यावरण को नुकसान होने जैसी दुखद स्थिति का सामना करते हैं और प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सहन करने की क्षमता से परे मानवीय पीड़ा और क्षति से पीड़ित होते हैं। यद्यपि आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आना उस स्थान की सरकार और प्रशासन का कर्तव्य है, तथापि, धारा 12 के उप–खंड (ड.) के अनुसार, विधिक सेवा प्राधिकरण समेकित एवं सतत ढंग से कार्यनीतिगत कार्यकलाप करके, संकट की गहनता को कम करके और शीघ्र रिकवरी एवं विकास हेतु एक मंच तैयार करने के लिए आपदा प्रबंधन में राज्य प्रशासन के कार्यकलापों का समन्वय करके प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण जोखिम को कम करने के लिए पीड़ितों एवं प्रशासन की मदद करने और आपदा न्यूनीकरण नीतियां एवं कार्यनीतियां अपनाने में उनकी सहायता करने, भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति की दयनीयताओं को कम करने तथा सभी स्तरों पर मानव–निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे।

2. नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना, 2010

यह योजना आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना कहलाएगी।

3. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ऐसे आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करना है जो जन आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा के पीड़ित होने के कारण अनपेक्षित अभाव की परिस्थितियों में हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरणों का कार्य संकटों की अवधि को कम करने हेतु सरकार एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा किए गए समेकित, कार्यनीतिगत एवं सतत विकास उपायों का समन्वय करना और शीघ्र रिकवरी एवं विकास के लिए एक मंच बनाना होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का मुख्य बल सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन हेतु पीड़ितों की क्षमता में वृद्धि करना और सरकारी विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना एवं पीड़ितों को विधिक सहायता प्रदान करने पर होगा।

4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कार्यनीतिगत कार्यकलाप

आपदाओं के पीड़ितों की सहायता करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कार्यकलापों की कार्यनीति निम्नानुसार होगीः–

1. पीड़ितों को सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा तत्काल सहायता सुनिश्चित करना।
2. तत्काल आपदा राहत पहुँचाने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय करना।
3. राहत सामग्री के वितरण का पर्यवेक्षण करना।
4. अस्थायी शरण–स्थल के निर्माण अथवा पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के कार्य का पर्यवेक्षण।

5. परिवार के सदस्यों को पुनः मिलवाने के कार्य का पर्यवेक्षण।
6. पीड़ितों की स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता का पर्यवेक्षण और महामारियों के फैलने की रोकथाम।
7. महिलाओं एवं बच्चों की जरूरतों का पर्यवेक्षण।
8. भोजन, दवाई और पेयजल की उपलब्धता सुनिशचित करना।
9. क्षतिग्रस्त निवास स्थानों के पुनर्निर्माण का पर्यवेक्षण।
10. मवेशी और चल संपत्ति की बहाली का पर्यवेक्षण।
11. पीड़ितों के विधिक अधिकारों के संबंध में राहत शिविरों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम करना।
12. कीमती दस्तावेजों को पुनः बनवाने में सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्रों में विधिक सहायता क्लिनिक संचालित करना।
13. सरकार और मंत्रियों द्वारा घोषित वादों और आश्वासनों के लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ितों की सहायता करना।
14. अनाथ बच्चों के पुनर्वास, देखभाल और भावी शिक्षा में सहायता करना।
15. पीड़ितों के लिए उपयुक्त ऋण राहत उपायों हेतु कदम उठाना।
16. अपने अवलंब परिवारों को खो देने वाले वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता करना।
17. बीमा पॉलिसियों संबंधी समस्याओं में सहायता करना।
18. खोए हुए व्यवसाय और काम–धंधों को पुनः शुरू करने के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था करना।
19. आपदा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे और अवसाद का शिकार हुए पीड़ितों के लिए मनोचिकित्सक की सहायता/परामर्श की व्यवस्था करवाना।

5. विधिक सेवाओं के लिए कार्य–तंत्र

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण किसी आपदा के घटित होने पर, चाहे वह मानव–निर्मित हो या प्राकतिक, तत्काल कार्य शुरू करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के नियंत्रण में सभी जिलों में एक कोर ग्रुप स्थापित करेंगे।

कोर ग्रुप में एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, स्थानीय बार एसोशिएसन द्वारा चयनित युवा वकील, जिनमें महिला वकील भी होंगी, इंडियन मेडिकल एसोशिएसन की स्थानीय शाखा द्वारा नामित मेडिकल डॉक्टर और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायित गैर–सरकारी संगठन शामिल होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कोर ग्रुप के सदस्यों के टेलीफोन नम्बर और सैल नम्बर रखेंगे।

पीड़ितों को विधिक सहायता की कार्यनीति

6. पीड़ितों को सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा तत्काल सहायता सुनिश्चित करना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा पर कार्रवाई करने के लिए नोडल एजेंसी होंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तत्काल संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सचेत करेंगे जो बाद में राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क करेंगे और उनके द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा एकत्र करेगा।

(क) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित कोर ग्रुप तत्काल उस स्थान पर जाएगा जहां आपदा घटित हुई है और राहत कार्य में लग जाएगा।

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और कोर टीम स्वयं को राहत कार्यों में शामिल करके और राहत कार्यों के सहज रूप से चलते रहने में कोई बाधा पैदा किए बिना उन कार्यकलापों का समन्वय करेंगे।

7. तत्काल राहत पहुँचाने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों और गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शीर्ष स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/विभाग के साथ संपर्क करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य, वित्त, समाज कल्याण और पुलिस सहित सभी विभाग राहत कार्यों में शामिल हो जाएं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा यदि कोई कार्य योजना तैयार की गई हो तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसके कार्यान्वयन का समन्वय करेंगे।

(क) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यदि कोई आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई हो तो राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी एक प्रति प्राप्त करेंगे।

(ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जहां तक व्यवहार्य हो, उक्त योजना का अनुसरण करेंगे और आवश्यकता होने पर राहत कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य प्रशासन अथवा आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सुझाव देंगे।

8. राहत सामग्री के वितरण का पर्यवेक्षण करना

आपदा की स्थिति में, पहला और सर्वाधिक अहम कदम यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों को उनके अवांछित अभावों को दूर करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जाए। इसमें भोजन, सुरक्षित पेयजल प्रदान करना और पीड़ितों को सुरक्षित शरण स्थलों पर ले जाना शामिल है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा के पीड़ितों को राहत सामग्री की प्रभावशाली और समय पर आपूर्ति का पर्यवेक्षण करेगा।

9. अस्थायी शरण–स्थली के निर्माण अथवा पीड़ितों का सुरक्षित स्थान पर ले जाने के कार्य का पर्यवेक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और कोर टीम अस्थायी शरण–स्थलों के निर्माण एवं पीड़ितों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर ऐसे शरण–स्थलों पर ले जाने के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे। किसी प्रकार की कमी की रिपोर्ट प्रभारी सरकारी अधिकारी को दी जा सकती है ताकि कमी को तत्काल दूर किया जा सके।

10. परिवार के सदस्यों को पुनः मिलवाने के कार्य का पर्यवेक्षण

आपदा के परिणामस्वरूप परिवारों की संयुक्त इकाई अकस्मात् बिखर सकती है। आपदा के कारण या बचाव कार्यों के कारण या चिकित्सा आपात स्थितियों के कारण परिवार के सदस्यों के बिछुड़ जाने की संभावना होती है। यह बिछोह जीवन की क्षति के कारण भी हो सकता है।

कोर टीम आपदा से प्रभावित परिवारों में ऐसी संभावित सदमे जैसी स्थितियों का पूर्वाभास करेगी और पीड़ितों को ढाढ़स बंधाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी तथा परिवारों के खोए हुए सदस्यों की तलाश के लिए तत्काल उपाय करेगी।

11. पीड़ितों की स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता का पर्यवेक्षण और महामारियों के फैलने की रोकथाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय के लिए तत्काल कदम उठाएगा कि आपदा के पीड़ितों को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाए। घायल हुए पीड़ितों को तत्काल उपचार प्रदान किया जाएगा।

(क) यदि राहत शिविरों में बड़ी संख्या में प्रभावित लोग एकत्र हो जाएं, तो पर्याप्त स्वच्छता सुनिश्चित की जानी होगी। यह सुनिश्चित करने के उपाय

किए जाएंगे कि जन स्वास्थ्य प्राधिकारी शिविरों की सफाई और स्वच्छता का कार्य नियमित आधार पर करें।

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिशचित करेगा कि राहत शिविरों में पैदा हो सकने वाली स्पर्शजनित और संक्रामक तथा जल–जनित बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए जन स्वास्थ्य प्राधिकारी पर्याप्त रोकथाम के उपाय करें।

(ग) स्वास्थ्य का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा होने के कारण आपदा पीड़ितों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है और विधिक सेवा प्राधिकरण उपयुक्त उपाय करके ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

12. महिलाओं एवं बच्चों की जरूरतों का पर्यवेक्षण

महिलाएं और बच्चे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत निःशुल्क विधिक सेवा के लाभार्थी हैं। ये किसी भी आपदा के पीड़ितों में सर्वाधिक असहाय समूह हैं। शिविरों में महिलाओं और बच्चों तथा उनके गहनों और व्यक्तिगत सामान जैसी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा करने की जरूरत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पुलिस चोरी और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

13. भोजन, पेयजल और दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना

भोजन, सुरक्षित पेयजल और दवाई मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं और इसलिए इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। अतः विधिक

सेवा प्राधिकरण शरण–स्थलों में रह रहे पीड़ितों के लिए भोजन, सुरक्षित पेयजल एवं दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ संपर्क और समन्वय कर सकते हैं।

14. क्षतिग्रस्त निवास स्थानों के पुनर्निर्माण का पर्यवेक्षण

आवास की समस्या आपदा के पीड़ितों के सामने आने वाली एक बड़ी समस्याओं में से एक है। भूकंप, बाढ़ और सांप्रदायिक दंगों जैसी आपदाओं में घरों को आंशिक अथवा पूर्ण क्षति हो सकती है। मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान और निधियों के आश्वासन समय बीतने के साथ–साथ अधूरे रह सकते हैं या भुला दिए जा सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे वादों को पूरा करवाया जाना और वादे की राशि या अन्य राहत उपायों को अविलंब पीड़ितों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

15. मवेशी और चल संपत्ति की बहाली का पर्यवेक्षण

मवेशी, चल संपत्ति और धरेलू सामान की क्षति सभी जन आपदाओं से जुड़ी हुई है। दंगों और जातीय हिंसा के दौरान और बाढ़, सूखा, महामारी और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान भी चोर–लुटेरे और असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस और सशस्त्र बलों के साथ मिल कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ितों के सामान को कोई लूट न ले या घरों में चोरी न हो। इसी प्रकार, पशुधन और चल संपत्ति की सुरक्षा के उपाय भी किए जाएंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण पशुधन की सुरक्षा के लिए सरकार के पशुपालन विभाग के साथ समन्वय करेंगे।

16. पीड़ितों के विधिक अधिकारों के संबंध में राहत शिविरों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम करना

पीड़ितों के आपदा के तात्कालिक सदमे और प्रभाव से उबरने के बाद, विधिक सेवा प्राधिकरण किसी सुविधाजनक समय पर और राहत शिविरों के पास पीड़ितों को विधिक जागरूकता प्रदान कर सकते हैं। महिला वकीलों को औपचारिक विधिक जागरूकता कार्यक्रम, मुख्यतः प्राधिकरणों से राहत उपाय प्राप्त करने के लिए आपदा पीड़ितों के अधिकारों के संबंध में, संचालित करने का कार्य सौंपा जा सकता है। उपलब्ध विधिक राहतें और सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावों तथा योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के तरीके भी चर्चा के बिंदुओं में शामिल किए जा सकते हैं। विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को उत्सव की तरह आयोजित नहीं किया जाएगा। उद्घाटन समारोह और अन्य औपचारिकताओं से पूरी तरह बचा जाएगा। आपदा के माहौल और शोक–संतप्त पीड़ितों की भावना का संसाधन व्यक्तियों द्वारा पूरा ध्यान रखा जाएगा और विधिक सेवाओं के लिए उपाय इस ढंग से किए जाएं कि वे पीड़ितों की सांत्वना एवं उनकी शिकायतों के निवारण हेतु उपायों के अनुकूल हों। शिविरों और पीड़ितों के घरों पर महिला वकीलों का जाना वांछनीय होगा।

17. कीमती दस्तावेजों को पुनः बनवाने में सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्रों में विधिक सहायता क्लिनिक संचालित करना

पीड़ित के नाम के विलेख, राशन कार्ड, पहचान–पत्र, स्कूल और कॉलेज के प्रमाण–पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि खो जाने की संभावना होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभावित क्षेत्रों में विधिक सहायता क्लिनिक संचालित करेंगे और मामले को संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाते हुए पीड़ितों को डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र और दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करेंगे। मृत पीड़ितों के मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करवाने हेतु भी व्यवस्थाएं की जाएंगी।

18. अनाथ बच्चों के पुनर्वास, देखभाल और भावी शिक्षा में सहायता करना

अनाथ बच्चे आपदाओं के जीते–जागते स्मारक होते हैं। खोया हुआ बचपन, माता–पिता का स्नेह उनके शेष जीवन भर उन्हें भयभीत करता रह सकता है। कभी कभार, अनाथ बच्चों को मानसिक समस्याएं भी प्रभावित करती हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे बच्चों के वयस्क हो जाने तक बच्चों की शैक्षिक और आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों, बड़े व्यावसायिक घरानों और कॉरपोरेट जगत से मदद प्राप्त करेगा। उपयुक्त मामलों में, विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे बच्चों को किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत देखभाल के लिए सहायता कर सकते हैं।

19. पीड़ितों के लिए उपयुक्त ऋण राहत उपायों हेतु कदम उठाना

पीड़ितों का पुनर्वास किसी भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अपने जीवन का सब कुछ खो देने वाले पीड़ितों को अपने व्यवसाय को पुनः बनाने, कृषि उपकरण खरीदने और आपदा से पूर्व वे जिन व्यवसायों में लगे हुए थे, उनके लिए अपेक्षित उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। मछुआरा समुदाय के पीड़ितों को जाल, नावें और आउटबोर्ड इंजिन खरीदने के लिए बड़ी राशि की जरूरत हो सकती है। ऐसे पुनर्वास उपायों में संबंधित सरकारी विभागों की सहायता की जरूरत हो सकती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को उनके व्यवसायों को पुनः शुरू करने में सहायता करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, समाज कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। उपयुक्त मामलों में, ऋण राहत संबंधी कानूनों के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

20. अपने सहायक परिवारों को खो देने वाले वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता करना

निःशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (ड.) में यथापरिभाषित निःशक्तजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। वरिष्ठ नागरिक माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कतिपय लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। आपदाओं के कारण अपना सहारा खो चुके वरिष्ठ नागरिकों और निःशक्तजनों की पहचान की जाएगी और उन्हें उपयुक्त विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।

21. बीमा पॉलिसियों संबंधी समस्याओं में सहायता करना

विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए उन दावों को बीमा कंपनियों के साथ उठाएंगे। पीड़ितों के पक्ष में निपटान करवाने के लिए बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बात–चीत की जा सकती है। उचित मामलों में बीमा लोकपाल की सेवा भी ली जा सकती है।

22. खोए हुए व्यवसाय और काम–धंधों को पुनः शुरू करने के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था करना

अपने व्यवसाय और अपने काम–धंधे में प्रयुक्त उपकरणों का भारी नुकसान झेलने वाले पीड़ितों की उचित बहाली उपाय करके सहायता की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों को पीड़ितों की सहायता करने के अवसर पर आगे आने के लिए मनाएंगे।

23. आपदा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे और अवसाद का शिकार हुए पीड़ितों के परामर्श के लिए मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों की सेवाओं की व्यवस्था करवाना

आपदा पीड़ितों और उनके परवार के सदस्यों पर आपदाओं के भयानक प्रभावों से जुड़ा मानसिक सदमा और संबंधित मनोचिकित्सक परिवर्तन प्रायः देखे जाते हैं। जीवन की अकस्मात् क्षति और आपदाओं के भय के डरावने अनुभव के परिणामस्वरूप न केवल पीड़ितों को अपितु उनके परिवार के सदस्यों को भी मानसिक सदमा और मनोचिकित्सकीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय से मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की सेवाओं की आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा।

जिला प्राधिकरण, जब तक पीड़ितों का पुनर्वास न हो जाए, तब तक कोर ग्रुप के सदस्यों की उपस्थिति प्रतिदिन राहत शिविरों में सुनिश्चित करेगा।

24. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोर ग्रुप से रिपोर्ट एकत्र करेगा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा के स्थान पर कार्यरत कोर गुप से रिपोर्टें प्रतिदिन एकत्र करेगा। उन रिपोर्टों की प्रतियां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाएंगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रिपोर्टों को समेकित करेगा और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को एक व्यापक रिपोर्ट भेजेगा और उसकी प्रतियां राज्य और जिले के जिला प्रबंधन प्राधिकारियों को भी भेजी जाएगी। रिपोर्ट की प्रतियां राज्य प्राधिकरणों के प्रधान संरक्षकों के समक्ष और राज्य प्राधिकरण की बैठक में भी रखी जाएंगी।

यदि इस योजना को लागू करने में कोई कठनाई आती है, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा कोर ग्रुप राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से दिशा–निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

*****